न्यायालय–शंकर कश्यप,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दा.प्र.क.–2764/2022

संस्थित दिनांक–19/12/2022

सी.एन.आर.नंबर–CGKK02-003026-2022

अपराध क्रमांक–185/2022

छ.ग. राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र–चारामा

जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.).....अभियोजन

//विरूद्ध//

संतोष बोरकुटे पिता राजम बोरकुटे, उम्र– 30 वर्ष,

निवासी– गोविन्दगांव, थाना– जिमलगट्टा,

तहसील– अहेरी, जिला– गड़चिरौली (महाराष्ट्र).....अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री राजकुमार मिश्रा डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री विनोद नाग अधिवक्ता उपस्थित।

//निर्णय//

(दिनांक 17/02/2023 को घोषित)

01– अभियुक्त संतोष बोरकुटे पर **धारा–279,337 भा.द.स.** के तहत् यह आरोप है कि उसने दिनांक 25/09/2022 को समय दिन के 20:30 बजे स्थान– तहसीलदार निवास गृह के सामने कोरर रोड दरगहन, चारामा अंतर्गत थाना चारामा में वाहन कार अल्टो क्रमांक– सी.जी.27–एच.

3521 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापनन कारित किया तथा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत– पवन कुमार जैन को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर साधारण उपहति कारित किया।

02– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त संतोष बोरकुटे ने स्वेच्छया अपने विरूद्ध आरोपित अपराध को स्वीकार किया है।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी पवन कुमार जैन ने दिनांक 26.09.2022 को थाना चारामा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.09.2022 को शाम करीबन 07:30 बजे वह अपनी मौटर सायकल एच.एफ. डिलक्स क्रमांक– सी.जी.19–बी.एफ.1977 से अपने घर दरगहन से चारामा घरेलु सामान खरीदने गया था और सामान खरीदकर वापस घर आ रहा था कि तहसीलदार निवास गृह के सामने अपनी बायी ओर रोड के किनारे पाई पर अपनी मोटर सायकल को 08:30 बजे खड़ा कर अपने साथी का इंतजार कर रहा था कि दरगहन की ओर से वाहन क्रमांक– सी.जी.27–एच.3521 का कार चालक उक्त वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी खड़ी मोटर सायकल को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसके सिर, दाहिने पैर एवं कंधा में चोट लगा व मोटर सायकल पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चारामा में अभियुक्त संतोष बोरकुटे के विरूद्ध

अपराध क्रमाक– 185/2022 का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04– अभियोग पत्र एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात अभियुक्त संतोष बोरकुटे के विरूद्ध धारा– 279,337 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध विवरण विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आरोपित अपराध को स्वेच्छया स्वीकार किया।

05– अभियुक्त संतोष बोरकुटे के द्वारा स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार किये जाने पर विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को धारा 279,337 भा.दं. सं. के अंतर्गत दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

06– अभियुक्त संतोष बोरकुटे को **धारा–** 279 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 1000/– रूपये एवं धारा– 337 भा.द.वि. के अपराध के लिए 500/– रूपये, कुल राशि– 1,500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

07– अभियुक्त संतोष बोरकुटे द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा कर दिया गया है, इसलिए उसे स्वतंत्र कर छोड़ा जावे।

08– प्रकरण मे जप्तशुदा वाहन मारूती अल्टो 800 क्रमांक– सी.जी.

27—एच. 3521 मय कागजात आवेदक/सुपुर्ददार— ललित कुमार साहू पिता श्याम लाल साहू, उम्र— 27 वर्ष, निवासी— विश्रामपुरी कुम्हारपारा, थाना— विश्रामपुरी, जिला— कोण्डागांव (छ.ग.) को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है तथा प्रकरण में अन्य जप्तशुदा ड्राईविंग लायसेंस को आवेदक/सुपुर्ददार संतोष बोरकुटे पिता राजम बोरकुटे, उम्र— 30 वर्ष, निवासी— गोविन्दगांव, थाना— जिमलगट्टा, तहसील— अहेरी, जिला— गड़चिरौली (महाराष्ट्र) को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात मूल स्वामी के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

प्रकरण समाप्त।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित **मेरे निर्देशन मे टंकित।**

हस्ताक्षरित एवं घोषित।

सही/—
(शंकर कश्यप)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

सही/—
(शंकर कश्यप)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)